# न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

4

पीठासीन अधिकारी—रूकमणि रियार सिहाग आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—79/2022 विविध

हरीराम जोशी पुत्र श्री बजरंगलाल निवासी जाति ब्राह्मण उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नं. 02, बसंत विहार नजदीक गुड शेफर्ड स्कूल वार्ड नं 44. श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर व जिला श्रीगंगानगर।

——प्रार्थी

बनाम

1. शंकरताल पुत्र श्री बजरंगलाल जाति ब्राह्मण उम्र 62 वर्ष निवासी वार्ड नं. 4, ब्राह्मण धर्मशाला के पास रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. श्रवण पुत्र श्री सहीराम जाति देग उम्र 60 वर्ष निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपखण्ड कार्यालय, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. श्रीमति शिवा चौधरी उपखण्डाधिकारी, रावतसर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 सीआरपीसी. बाबत पत्रावली अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तातंरण।

निर्णय दिनांकः—07.06.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.09.2021 को उपखण्डाधिकारी, रावतसर के समक्ष अन्तर्गत धारा 145 सीपीआरपी परिवाद प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें दिनांक 21.09.2021 को प्राप्त परिवाद जांच वास्ते पुलिस को दिनांक 23.09.2021 पत्रांक 2021/न्याय/RI-B-2/पु.प./1102 भिजवाया गया। पुलिस द्वारा शंकर लाल और अन्य लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ जांच कर न्यायालय उपतहसीलदार व कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उप तहसील, पल्लू के समक्ष दिनांक 15.10.2021 को अन्तर्गत धारा 107, 116 (3) रिपोर्ट पेश की जिस पर मुकदमा सं. 163/2021 दर्ज हुआ। पुलिस द्वारा उक्त परिवाद की जांच रिपोर्ट उपखण्डाधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय को दिनांक 19.10.2021 को भिजवाई गई जिस पर उपखण्ड अधिकारी, शिवा चौधरी द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की तथा उपखण्डाधिकारी शिवा चौधरी द्वारा बिना प्रार्थी की सुनवाई किये एकपक्षीय रवैया अपनाया जा रहा है। उपरोक्त मुल्जिमान शंकरलाल व श्रवण आदि को न्यायालय उपतहसीलदार व कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपतहसील पल्लू द्वारा पाबन्द रहने के आदेश दिये जाने के बावजूद भी मुल्जिमानों द्वारा प्रार्थी की फसल/कृषि उपज जबरदस्ती काट कर ले गये तथा दिनांक 08.01.2022 को शंकरलाल आदि द्वारा दूसरी बार प्रार्थी के खेत में लगे तारबंदी पर लगे ताले भी तोड़ दिया गया तथा मुल्जिमानों द्वारा प्रार्थी पर चौसिगी फेंककर मारी गई तथा प्रार्थी की कृषि भूमि पर जबरन पुनः बुआई कर ली गई और न्यायालय उपतहसीलदार व कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपतहसील पल्लू के आदेशों की अवहेलना की गई है। लेकिन इन सबके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 10.01.2022 को प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण की वर्तमान वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिखा गया जिस पर भी उपखण्डाधिकारी शिवा चौधरी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.01.2022 को पुलिस थाना पल्लू से जांच दस्ती की नकल रिकॉर्ड प्राप्ति बाबत आवेदन दिया गया जिसका भी पुलिस थाना द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.09.2021 को परिवाद अर्न्तगत धारा 145 सीआरपीसी में प्रस्तुत करने के 136 दिन बाद

मुकदमा सं. 01/2022 दिनांक 02.02.2022 को दर्ज हुआ। चूंकि शकरलाल व श्रवण के आर्थिक व राजनैतिक रसुख वाले व्यक्ति होने के कारण पुलिस थाना पल्लू द्वारा जानबुझकर प्रकरण में देरी करने के आशय तथा मुल्जिमानों को नाजायज लाभ पहुंचाने की गर्ज से पल्लू पुलिस थाना द्वारा दिनांक 19.10.2021 से 02.02.2022 तक उक्त जांच छिपाकर रखी गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.06.2022 और 26.06.2022 को उपखण्ड कार्यालय के शाखाकर्मी को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु उपखण्डाधिकरी द्वारा चाही गई नकल भी उपलब्ध नहीं करवाई गई। प्रार्थी द्वारा नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र श्रीमान कलक्टर कार्यालय, हनुमानगढ़ में प्रस्तुत किया गया जिस पर सतर्कता शाखा एवं नकल रिकॉर्ड शाखा के मार्फत दिनांक 08.08.2022 को पत्रावली रावतसर को भिजवाई गई जिस पर भी उपखण्ड कार्यालय रावतसर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई और आपके आदेश की अवहेलना की गई। प्रार्थी द्वारा उपखण्डाधिकारी रावतसर को जरिये पंजीकृत डाक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित किये गये जिस पर उपखण्डाधिकारी की प्रतिकिया शून्य है। उपखण्डाधिकारी, रावतसर को प्रेषित प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक निम्न प्रकार है। क. हरीराम जोशी द्वारा प्रेषित दिनांक 20.06.2022 को पंजीकृत डाक RR396673976IN की पहुँच 21.06.2022 है। ख. हरीराम जोशी द्वारा प्रेषित दिनांक 20.06.2022 को पंजीकृत डाक RR396674000IN की पहुँच 21.06.2022 है। ग. हरीराम जोशी द्वारा प्रेषित दिनांक 19.07.2022 को पंजीकृत डाक RR109945969IN की पहुँच 21.07.2022 है। घ. हरीराम जोशी द्वारा प्रेषित दिनांक 23.07.2022 को पंजीकृत डाक RR138263110IN की पहुँच 25.07.2022 है। ड हरीराम जोशी द्वारा प्रेषित दिनांक 01.08.2022 को पंजीकृत डाक ER239357920IN की पहुँच 03.08.2022 है। च. हरीराम जोशी द्वारा प्रेषित दिनांक 08.08.2022 को पंजीकृत डाक RR131397390IN की पहुँच 10.08.2022 है। छ. हरीराम जोशी द्वारा प्रेषित दिनांक 26.08.2022 को पंजीकृत डाक RR131153242IN की पहुँच 29.08.2022 है। उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.09.2022 सुनिश्चित है। उक्त प्रकरण में उपखण्डाधिकारी शिवा चौधरी द्वारा बिना प्रार्थी की सुनवाई किये एकपक्षीय रवैया अपनाया जा रहा है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त परिवाद में निष्पक्ष जांच व कार्यवाही नहीं होने दिया जा रहा है तथा प्रार्थी के साथ कार्यालय में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है तथा उपखण्डाधिकारी रावतसर मुल्जिमानों को लाभ पहुँचाने की मंशा से कार्य कर रही है और जानबुझकर अनावश्यक देरी कर रही है। उक्त प्रकरण में उपखण्डाधिकारी का रवैया सही व निष्पक्ष नहीं होने के कारण तथा उपखण्डाधिकरी रावतसर की मनोवृति न्यायिक प्रकरण में प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की है। प्रार्थी को वर्तमान उपखण्डाधिकारी शिवा चौधरी जो कि मुल्जिमानों के राजनैतिक दवाब में है, से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। उपखण्डाधिकारी शिवा चौधरी अपने पद का दुरूपयोग कर मुल्जिमानों को अतिशीघ्र नाजायज लाभ पहुचाना चाहती है जो कि न्याय व विधि के सर्वथा कानून के विपरीत है। इसलिए उपखण्डाधिकारी शिवा चौधरी को आगामी कोई भी निर्णय उक्त प्रकरण में दिये जाने से रोकना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट दर्शित होता है कि उपरोक्त उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिट्रेट, रावतसर श्रीमती शिवा चौधरी मुल्जिमानों के साथ मिलकर उनके पक्ष में एकपक्षीय फैसला करने के लिए उतारू है। श्रीमती शिवा चौधरी द्वारा कानून व विधिसम्मत सिद्धान्तों की पालना नहीं की जा रही है। उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिट्रेट, रावतसर श्रीमति शिवा चौधरी के उक्त कृत्य के कारण प्रार्थी को कभी भी ना पूरा होने वाला नुकसान कारित होगा व अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावतसर के समक्ष लम्बित राजस्व वाद सं. 01/2022 अन्तर्गत धारा 145–146 सीआरपीसी. बअनवानी 'हरिराम जोशी बनाम शंकरलाल आदि' को सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गया व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावतसर से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.2023 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त विचाराधीन प्रार्थना पत्र में जो भी आरोप लागये गये है वह निराधार एवं बेबुनियाद है। हरीराम प्रभावशाली व्यक्ति है जो अपने राजनेतिक प्रभाव से जानबुझ कर उक्त दावा को लम्बा खींचकर अन्य जगह अपना दावा अपने हित के अधिकारी को देकर अपने पक्ष में करवाना चाहता है। प्रार्थी एक गरीब किसान है जिस को जानबुझ कर हरिराम द्वारा परेशान किया जा रहा है एवं अब सहायक कलैक्टर महोदय रावतसर में उपखण्डाधिकारी का तबादला हो गया है। इसलिए अब नये उपखण्डाधिकारी द्वारा कार्य सम्भाल लिया है। इसलिए अब उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं रहा है।

इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र हरिराम द्वारा पेश किया हुआ है उसे तुरन्त प्रभाव से खारिज करवाये जाने के आदेश फरमावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं. 01 व 02 राजनैतिक रूप से प्रभावशाली है तथा उनका अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 03 पर राजनैतिक दबाव है तथा प्रार्थी के विपक्ष में निर्णय हेतु दबाव बना रखा है। पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना प्रार्थी की सुनवाई किये एकपक्षीय रवैया अपनाया जा रहा है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 03 पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं होने पर विचारण न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.02.2023 पेश जवाब को ही मेरी बहस समझा जावे और प्रकरण का फैसला किया जाऐ।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय के जिस पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप अंकित किये है उनका स्थानान्तरण हो चुका है। अतः पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने पर यह प्रार्थना सारहीन होने पर खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 सीआरपीसी. के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावतसर के न्यायालय में विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा 145–146 सीआरपीसी. को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। पत्रावली पर उपलब्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावतसर की टिप्पणी दिनांक 18.11.2022 के अवलोकन अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य निराधार एवं तथ्यहीन होना तथा वर्तमान में प्रकरण वास्ते मजिद बहस नियत थी जिस पर दोनों पक्षकारान हाजिर आये तथा वास्ते मजिद बहस समय चाहा, जो दिया जाकर पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 30.11.2022 नियत रखी गई। पत्रावली में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, पत्रावली में कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार पत्रावली का निस्तारण कर दिया जावेगा, अंकित किया है। प्रार्थी का अधीनस्थ न्यायालय में दायर वाद पत्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को समुचित अवसर देते हुए सुनवाई की जा रही है जिससे स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा किसी भी दबाव में कार्य नहीं कर विचाराधीन वाद में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किया जाना पाया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 व 04 पीठासीन अधिकारी जिन पर पक्षपात करने व बिना प्रार्थी की सुनवाई किये एकपक्षीय रवैया अपनाया जाकर सुनवाई करने के कारण प्रकरण को स्थानान्तरित करवाना चाहा है, उक्त पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावतसर को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए शीघ्र विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावतसर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 07.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़